बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

32, हार्डिंग रोड, पटना-800001

फोन- 0612-2231563, फैक्स नं. : 2231562, 2215089, वेबसाईट : www.bsea.bih.nic.in

पत्रांक : नि॰ प्रा॰/ नि॰ 1-03/2013 708 /पटना, दिनांक 28/08/2014

प्रेषक,

विनय कुमार,
अवर सचिव।

सेवा में,

प्रखंड विकास पदाधिकारी-सह-निर्वाचन पदाधिकारी (स॰स॰),
तरियानी, शिवहर ।

विषय : **पैक्स निर्वाचन, 2014 के प्रारूप मतदाता सूची पर प्रकाशन अवधि में प्राप्त दावा / आपत्ति के निष्पादन हेतु मार्गदर्शन के सम्बन्ध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक 1268 दिनांक 22.08.2014 के संबंध में सूचित करना है कि आपके द्वारा उठाये गये बिन्दुओं के संबंध में कंडिकावार मार्गदर्शन निम्नवत् है :-

2. कंडिका-1 में उठाये गये बिन्दु के संदर्भ में आपको सूचित किया जाता है कि निर्धारित अवधि में दाखिल किये गये आपत्ति के साथ यदि सदस्यता रसीद, हिस्सा पूंजी संबंधी प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न की गई है तो ऐसे आपत्तिकर्त्ता का नाम मतदाता सूची में सम्मिलित किये जाने पर विचार किया जा सकता है। पिछले चुनाव की मतदाता सूची के आधार पर वर्तमान चुनाव के लिए प्रकाशित की जाने वाली मतदाता सूची में नाम सम्मिलित नहीं किया जा सकता है।

3. कंडिका-2 में उठाये गये बिन्दु के संदर्भ में यह सूचित करना है कि पूर्व में प्रशिक्षण के दौरान यह स्पष्ट कर दिया गया है कि प्रत्येक सदस्य के मामले में अलग-अलग जमा पर्ची के माध्यम से जमा की गई राशि से संबंधित रसीद प्रस्तुत करने पर ही उनके नाम जोड़ने पर विचार किया जा सकता है, समूह में जमा की गई रसीद के आधार पर नहीं।

4. कंडिका-3 में उठाये गये बिन्दु के संदर्भ में सूचित करना है कि वर्तमान पैक्स अध्यक्ष के कार्यकाल में यदि पूर्व अध्यक्ष के हस्ताक्षर से रसीद निर्गत किया गया है, तो उसकी मान्यता नहीं दी जायेगी।

5. कंडिका-4 में उठाये गये बिन्दु के संदर्भ में सूचित करना है कि संशय की स्थिति में आपत्तियों के निस्तार हेतु पैक्स अध्यक्ष से सदस्यता पंजी मांगी जा सकती है, बशर्त्ते दावा/ आपत्ति विहित तरीके से विहित साक्ष्यों के साथ की गई है।

उपर्युक्त के अनुसार आपत्तियों का निस्तार कृपया सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन,
ह॰/- 28/8/14
(विनय कुमार)
अवर सचिव

ज्ञापांक : 708 /पटना, दिनांक 28/08/2014

प्रतिलिपि : सभी जिला पदाधिकारी -सह- जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स॰ स॰), बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह॰/- 28/8/14
अवर सचिव